श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,

नई दिल्ली–110016

क्रमांक. एफ 21(02)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.मा./2021–22/1981 दिनांक 12.12.2022 16

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के तिमाही रिपोर्ट (01 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022) तक की समीक्षा की गयी। जिसमें यह पाया गया कि :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेजों को केवल अंग्रेजी में जारी किया गया जबकि इन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित है। अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ आदि हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में जारी किये जाए। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दस्तावेज़ पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाए जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाएँ। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेज़ी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है।
2. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा। 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का शत–प्रतिशत उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।
3. कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखे जाना अनिवार्य है।
4. "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं।
5. कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाना अनिवार्य है।
6. विभाग में उपलब्ध सभी सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाये।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह अपने–अपने विभाग/अनुभाग द्वारा निर्गत की जाने वाले आदेश/सूचना/अधिसूचना/पत्र/परिपत्र इत्यादि सभी द्विभाषी में जारी करें तथा उपर्युक्त बिन्दुओं का पालन करते हुए अपना कार्य परिपूर्ण करें।

कृपया पृष्ठ पलटे....

नोट : 'क' एवं 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र का वर्गीकरण का निम्न प्रकार है :—

"क" क्षेत्र—बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।

"ख" क्षेत्र—गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

"ग" क्षेत्र—उपर्युक्त में निर्दिष्ट राज्यों और संघ क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।
अतः

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कुलसचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/अनुभाग
2. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें
3. कुलपति के निजी सचिव
4. कुलसचिव के निजी सचिव
5. संबंधित पंजिका।

15.12.22

कुलसचिव (प्रभारी)

Sachin for upload

16/12/2022